International Journal of Research and Review Techniques (IJRRT), ISSN: 3006-1075
Volume 3, Issue 2, April-June, 2024, Available online at: https://ijrrt.com

झांसी और बांदा जिला में भरण-पोषण के मामले दायर करने वाली महिलाओं की स्थितियों और भरण-पोषण मामलों का अध्ययन

शिव नारायण[1], डॉ. प्रवीण कुमार चौहान[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़
[2]सह – प्राध्यापक, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

सारांश

पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं के बारे में सोचते हुए, इन अधिनियमों ने बुनियादी भरण-पोषण से परे भरण-पोषण के अधिकारों को बढ़ा दिया। 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 125 को शामिल करना एक और कदम था; यह सभी धर्मों पर लागू होता है और महिलाओं को भरण-पोषण पाने का एक तेज़ और प्रभावी तरीका देता है। आधुनिक भारत के सामाजिक-कानूनी परिवेश में महिलाओं के अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता समकालीन न्यायिक व्याख्याओं में परिलक्षित होती है, जो अक्सर न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए रखरखाव के दायरे का विस्तार करती है। भारत में महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों के विकास का एक ऐतिहासिक विवरण, शास्त्रीय कानून से लेकर आधुनिक वैधानिक और केस कानून तक जारी है। यह लेख औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक कानूनी सुधारों के परिणामस्वरूप रखरखाव जिम्मेदारियों की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जिसकी शुरुआत पुराने हिंदू कानून से होती है जिसने उन्हें स्थापित किया था। यह शोध दर्शाता है कि कैसे धार्मिक शिक्षाओं और आधुनिक कानूनी सिद्धांतों के बीच संबंधों की जांच करके वर्तमान लैंगिक न्याय समस्याओं से निपटने के लिए पुराने विचारों को अद्यतन किया गया है। भारत में महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों की वर्तमान स्थिति की जांच मौलिक न्यायिक फैसलों और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 सहित महत्वपूर्ण कानून ढांचे के माध्यम से की जाती है।

मुख्य शब्द: सामाजिक-आर्थिक, प्रकृति, शिक्षाओं, मौलिक, न्यायिक, भरण-पोषण

परिचय

भारत में व्यक्तिगत कानून होने का कारण धार्मिक सिद्धांत हैं। भरण-पोषण के अधिकार को लेकर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों में आम सहमति है; फिर भी, यह अधिकार व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सीमित है। पति या पत्नी या कुछ मामलों में दोनों को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी पर्सनल लॉ के तहत यह विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, आश्रित बच्चे और माता-पिता पहले से मौजूद विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत सहायता मांग सकते हैं। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के अनुसार, एक पत्नी जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो गई है, वह भी भरण-पोषण की हकदार है।

इंग्लैण्ड में वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए सनकी अदालतें प्रमुख स्थान हुआ करती थीं। इसके बाद, वैवाहिक कारणों से संबंधित कानून बनाया गया। हालाँकि, ऐसे सभी क़ानूनों का अंतर्निहित सिद्धांत यह था कि मौलिक कारण पर याचिका सफल होने के बाद आकस्मिक या पूरक राहत के पुरस्कार से संबंधित मामलों पर

विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ, पार्टियों के बीच किसी भी माध्यमिक असहमति पर विचार नहीं किया जाएगा। विवाह के मामलों में, यह वर्तमान भारतीय कानून है। विवाह से संबंधित कोई भी मामला पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। माता-पिता, आश्रित बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिए गए भरण-पोषण के अधिकार से जुड़े मामलों में, पारिवारिक न्यायालय या उसकी अनुपस्थिति में, जिला और सत्र न्यायालय मामले को संभालता है। विविध आबादी वाले देश भारत में विविधता में एकता को लगातार बरकरार रखा जाता है। इस समाज में, व्यक्तियों के कई समूह अपने-अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार बातचीत करते हैं। विवाह, तलाक और भरण-पोषण से संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों द्वारा अलग-अलग तरीके से शासित होते हैं। आधुनिक हिंदू कानून में, एक पत्नी को अपने पति के जीवित रहते हुए और उसकी मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण-पोषण पाने का अधिकार है। हालाँकि, भरण-पोषण की राशि व्यक्ति की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला किया है कि एक पत्नी को उसके पति के शुद्ध वेतन का 25% भरण-पोषण के रूप में दिया जा सकता है। चौधरी नी नंदी. अदालत में कुसुम शर्मा बनाम महिंदर कुमार शर्मा, ने इस सिद्धांत को दोहराया, जिसमें कहा गया कि तलाक चाहने वाले पक्षों को एक हलफनामे में अपनी संपत्ति, आय और खर्च का खुलासा करना होगा। इससे अदालत के लिए भरण-पोषण भुगतान को जीवनसाथी की वास्तविक आय पर आधारित करना आसान हो जाता है।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अनुसार, कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पक्ष अदालती प्रक्रियाओं से संबंधित भरण-पोषण और आरोपों की मांग कर सकते हैं। किसी भी आदेश के जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी समय, किसी भी पति या पत्नी को उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता भी दिया जाता है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुसार, जब तक वह बदचलन नहीं हो जाती या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक एक हिंदू महिला को अपने पति द्वारा जीवन भर भरण-पोषण पाने का अधिकार है। व्यक्तिगत कर्तव्य दोनों के बीच वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होता है। पति और पत्नी के बीच किसी लिखित या निहित अनुबंध के बजाय। पति के पास भरण-पोषण के लिए पैसे हैं या नहीं, यह अप्रासंगिक है। विवाह की तैयारी में, एक पत्नी को खुद को अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहिए। एक बार शादी हो जाने के बाद, एक विवाहित जोड़े के रूप में जोड़े के एक-दूसरे के प्रति विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक-दूसरे के साथ आराम से रहना दोनों जोड़ों का प्रमुख दायित्व और जिम्मेदारी है, लेकिन इसे हर समय बनाए रखना अव्यावहारिक हो जाता है। कभी-कभी, जोड़ों में वैवाहिक समस्याएं होती हैं जिससे उनके लिए एक साथ रहना या उनमें से एक के लिए दूसरे के साथ रहना अव्यावहारिक हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियों में शादी को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। चूंकि विवाह को बनाए रखने के लिए कोई वैध आधार नहीं है और दोनों पक्ष कई वर्षों से अलग रह रहे हैं, इसलिए अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (19) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को नजरअंदाज करने का फैसला किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी (2) के तहत। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, हिंदू वैधानिक कानून के अनुसार, वे अपनी शादी को तोड़े बिना अलग रह सकते हैं। एक या दोनों पति-पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत अदालत में याचिका दायर करके न्यायिक अलगाव की मांग कर सकते हैं। भले ही पति पत्नी के साथ रहने के दौरान उसका समर्थन करने की पेशकश करता है और पत्नी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, फिर भी पति अलग रहता है

अध्ययन का औचित्य

महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भरण-पोषण का अधिकार है, जो वर्तमान अध्ययन का विषय है। यह अधिकार हर समुदाय के व्यक्तिगत कानून के तहत मौजूद है। साहित्य समीक्षा समाप्त करने पर, शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हालांकि कई विद्वानों ने महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों का अध्ययन

किया है, लेकिन किसी ने भी इन विषयों का व्यापक विश्लेषण प्रदान नहीं किया है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक पूरे इतिहास में शास्त्रों में महिलाओं के अधिकार और उनकी स्थिति शामिल है। इस अध्ययन में, लेखक वैदिक काल में अपनी शुरुआत से महिलाओं के अधिकारों की जांच करता है और अलग-अलग समय अवधि में उनकी स्थिति और स्थिति के बारे में विस्तार से बताता है ताकि उनकी सामाजिक स्थिति से गिरावट के कारणों को उजागर किया जा सके जो पहले पुरुषों के बराबर थी। विद्वान ने अध्ययन के इन क्षेत्रों में गहराई से जाने का फैसला किया है क्योंकि खोज के लिए बहुत जगह है, खासकर शास्त्रों और हिंदू पवित्र ग्रंथों, महाभारत और रामायण में। इस अध्ययन का उद्देश्य समय के साथ महिलाओं की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में गिरावट की पहचान करना और इस गिरावट के प्रभाव का विश्लेषण करना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं की स्थिति (प्राचीन काल से वर्तमान तक) और उनके बीच सीधा और अटूट संबंध है। झांसी और बांदा जिला में महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों पर शोध की कमी है, इसलिए यह अध्ययन भरण-पोषण याचिका दायर करते समय महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करके और उन्हें सबसे आगे लाने के प्रयास में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में अधिक विवरण प्रदान करके उस अंतर को भर देगा। चूंकि देश के व्यक्तिगत कानूनों के तहत अनुसूचित जनजाति को "व्यक्ति" नहीं माना जाता है, इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी पूर्व शोध ने उन अनोखी चुनौतियों का समाधान नहीं किया है जिनका सामना इस समूह को वैवाहिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करते समय करना पड़ता है। इस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा ऐसे मामलों को संबोधित किया जाता है और समाधान प्रस्तावित किए जाते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष अदालत के रखरखाव आदेश के संबंध में न्यायिक शाखा के प्रवर्तन तंत्र के कार्य का आकलन करने के लिए भी लागू होते हैं। विशेष रूप से झांसी और बांदा जिला में महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों को संबोधित करने वाले मौजूदा साहित्य में मूलभूत कार्यों की कमी को देखते हुए, शोधकर्ता ने उस आबादी को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को करने का निर्णय लिया। यह अध्ययन उन सामाजिक आर्थिक कारकों की जांच करता है जो विवाह विच्छेद या पति-पत्नी के अलग-अलग रहने के कारणों के साथ-साथ अदालत द्वारा भरण-पोषण देने में आने वाली बाधाओं की जांच करते हैं, ताकि पत्नियों, बेटियों, माताओं और बहुएँ सहित महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों से संबंधित कानूनों को समझा जा सके। यह अध्ययन महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों से संबंधित इन मुद्दों पर प्रकाश डालता है और उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सुझाव देता है ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें।

साहित्य की समीक्षा

तिवारी, विजय (2014) समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर भारत की विवादास्पद चर्चा में कई अलग-अलग कारक भूमिका निभा रहे हैं। हमें ऐसे एकीकृत कोड की उपयोगिता और व्यावहारिकता की आलोचनात्मक जांच करने की आवश्यकता है जो विभिन्न धर्मों के लोगों के व्यक्तिगत जीवन को निर्देशित करता है। यूसीसी उदारवादी और बहुसंख्यक राष्ट्र-राज्य के मुक्त-बाजार व्यक्ति को कानून की मौलिक इकाई के रूप में और समग्र रूप से व्यक्तिगत कानून के सार्वभौमिकरण और एकरूपता के प्रति जुनून की अभिव्यक्ति है। समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब लोग धार्मिक या सांस्कृतिक समूहों में उलझ जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बजाय अपने विश्वासों और संगति में ताकत, सम्मान और सुरक्षा पाते हैं, जिसमें समुदाय को मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है या इनकार करते हैं। यह लेख यूसीसी को लेकर चल रही गहरी बहस के विश्लेषण में धार्मिक पहचान-आधारित उत्तर-धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाता है। "एक राष्ट्र, एक कानून" की प्रमुख कथा पर संदेह पैदा करने के लिए, यह कानूनी सार्वभौमिकता और विविधता के आसपास की बहस को चुनौती देता है। भारत की वर्तमान व्यक्तिगत कानून प्रणाली की ऐतिहासिक जड़ों और उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र-राज्य और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव के विश्लेषण के माध्यम से, यह लेख तर्क देता है कि यूसीसी की आधुनिक-धर्मनिरपेक्ष कानूनी प्रणाली की दूरसंचार कथा "आदर्श" के रूप में कुछ परंपराओं के प्रति पक्षपाती है और दूसरों से दूर जो कोई भी सत्ता में है, चाहे वह उदारवादी-धर्मनिरपेक्षतावादी हों या हिंदू राष्ट्रवादी, "नागरिकों" को अपने मानकों के अनुसार

ढालने की एक आधिपत्यवादी इच्छा रखते हैं, जो एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है जिसमें हर कोई उत्पीड़न के डर के बिना स्वयं रह सकता है।

चटर्जी, अनिंदिता. (2014) लोक्खी पूजा एक पारंपरिक बंगाली धार्मिक समारोह है, और मैं इस पेपर में इसकी कहानी का विश्लेषण करूंगा। जबकि कहानी सुनाना संस्कार के लिए आवश्यक है, यह तब तक नहीं किया जाता जब तक पुजारी देवी लोक्खी का आह्वान न कर ले। परिवार के पुरुष सदस्य और पुरुष पुजारी कहानी से अनुपस्थित हैं; इसके बजाय, घर और आसपास के समुदाय की महिला सदस्य कथावाचक और श्रोता दोनों के रूप में काम करती हैं। मैं यह तर्क दूंगा कि ब्रत कथा की पितृसत्तात्मक सामग्री और प्रदर्शन शैली किसी भी क्रांतिकारी क्षमता को खत्म कर देती है जो इस समान-लिंग स्थल में हो सकती है। घरेलू अनुष्ठानों की केंद्रीयता के बावजूद, अध्ययन यह प्रदर्शित करना चाहता है कि पुजारी द्वारा देवी के आह्वान के बाद कथाओं का प्रदर्शन उनके महत्व के बारे में मिश्रित भावनाओं को जन्म देता है। तात्कालिक कहानी कहने के सहभागी पहलू की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति के कारण, अनुष्ठान कथा स्थान में समान-लिंग कथा स्थान से जुड़ी विध्वंसक सामग्री और व्यक्तित्व का अभाव है। स्क्रिप्ट से कहानी पढ़ने से भावना या सहानुभूति का कोई भी तत्व समाप्त हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे यह किसी रोबोट द्वारा लिखी गई हो। मेरा तर्क है कि अनुष्ठानिक स्थानों का पितृसत्तात्मक चरित्र उन्हें मुक्तिदायक स्थानों के रूप में काम करने से रोकता है; बल्कि, वे महिलाओं की अधीनता और बहिष्कार को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पारंपरिक मूल्यों को घरों में सबसे अच्छा बनाए रखा जाता है। अटवाल, ज्योति. (2013) यह लेख सती के आसपास के पाठ्य मुद्दों पर प्रकाश डालता है और जांच करता है कि कैसे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (तब संयुक्त प्रांत कहा जाता था) में औपनिवेशिक राज्य ने उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान सती मामलों को संभाला, उनके आसपास की सनसनीखेज पर ध्यान केंद्रित किया। सवाल यह उठाया गया है कि क्या सती पर प्रकाशित संसदीय पत्रों के छह खंडों को महिलाओं के जातीय-मनोवैज्ञानिक इतिहास को लिखने के लिए स्रोत सामग्री के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, भले ही यह लेख शास्त्रों (या अधिक सटीक रूप से,) के साथ औपनिवेशिक जुड़ाव के पर्याप्त सबूत प्रदान करता है। व्यवस्थ)। खुद को जलाने वाली महिलाओं की कई रिपोर्टों में शास्त्रीय चिंता के अलावा और भी बहुत कुछ है।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सभी जातियों की हिंदू विधवाओं में कर्तव्य और निस्वार्थता की प्रबल भावना समाहित है। जिम्मेदारी और आस्था के ये विचार किसी एक काल या भौगोलिक स्थान तक सीमित नहीं, सदियों से विकसित हुए हैं। इसके अलावा, लेख में तर्क दिया गया है कि हिंदू विधवाओं के सुधार के संबंध में दो प्रचलित अवधारणाएं औपनिवेशिक प्राधिकारी और हिंदू सुधारकों के बीच ऐतिहासिक बातचीत से उभरीं। एक दृष्टिकोण का मानना था कि हिंदू विधवाएँ "इच्छापूर्वक" अपने पतियों की लाशों के साथ खुद को जला लेती थीं, और दूसरे का मानना था कि औपनिवेशिक प्राधिकरण, अपने पूर्ववर्तियों के समान, यह निर्धारित करने के लिए "नैतिक-नैतिक" स्थिति रखता था कि क्या विधवाओं द्वारा आत्मदाह की प्रथा "अनैच्छिक" थी " या "स्वैच्छिक।" जबकि उन्नीसवीं सदी के अंत में आधिकारिक हलकों में "स्वैच्छिक" विधवापन की अवधारणा ने जड़ें जमानी शुरू कर दीं, हिंदू सुधारक प्रवचन ने "जीवित सती" के विचार को लोगों के सामने ला दिया, और दोनों प्रक्रियाएं साथ-साथ काम करने लगीं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में रखरखाव कानून के कार्यान्वयन ढांचे का विश्लेषण करना; और
2. झांसी और बांदा जिला में भरण-पोषण के मामले दायर करने वाली महिलाओं की स्थितियों और भरण-पोषण मामलों की प्रक्रिया को समझना।

अनुसंधान पद्धति

वर्तमान शोध की जनसंख्या के रूप में निम्नलिखित दो समूहों का गठन किया गया था:

1. जो महिलाएं न्यायालय से भरण-पोषण प्राप्त कर रही हैं या जिनके मामले का निपटारा न्यायालय द्वारा कर दिया गया है और उन महिलाओं को झांसी और बांदा जिला में अपने पूर्व पति से स्थायी गुजारा भत्ता प्राप्त हुआ है।
2. विशेषज्ञ - सत्र न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, पारिवारिक न्यायालय और अन्य कानूनी विशेषज्ञ।

उपरोक्त कारकों पर डेटा एकत्र करने के बाद, शोधकर्ता ने अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय और गणितीय तरीकों का इस्तेमाल किया। उपयुक्त होने पर, वर्णनात्मक आँकड़ों का उपयोग ची-स्क्वायर, क्रॉस सारणीकरण और सरल आवृत्ति तालिकाओं के माध्यम से किया जाता है। झांसी और बांदा जिला में रखरखाव मामले की प्रक्रिया में रुझानों और पैटर्न की जांच करने के लिए, एक सेमी-लॉग ग्रोथ मॉडल का उपयोग किया गया था। इस अध्ययन में उपयोग किए गए डेटा विश्लेषण के तरीकों का विवरण नीचे दिया गया है।

अनुभवजन्य जांच की व्याख्या

विधायक मनु ने पति-पत्नी के बीच के रिश्ते को सराहनीय और समाज तथा घरेलू जीवन दोनों में आदर्श साझेदारी का पूरक बताया। इस संबंध का आधार आपसी विश्वास और समझ के साथ-साथ एक-दूसरे के प्रति समान कर्तव्य भी है। मनु ने निम्नलिखित श्लोक में इसी समान विचार को छुआ है, देवदत्तां पतिततां त्वन्दे नेच्छर्तात्मनः। इतं सतध्वीं तिरः तत्नत्रं देवतान्तं तिर्मत्वरणन्॥1 जिसका अर्थ है कि पति-पत्नी के बीच का संबंध दिव्य आत्मा द्वारा निर्धारित होता है और यह एक-दूसरे के प्रति दायित्व को पूरा करने के लिए दोनों पति-पत्नी की आपसी सहमति पर आधारित होता है; पति को अपनी विवाहित पत्नी की रक्षा करनी होती है और पत्नी को भी विवाह के उद्देश्य को पूरा करना होता है - एक साथ बच्चे पैदा करना एक बड़ा कारण है कि विवाह जीवन भर चलता है।

मनु के नियमों के अनुसार निम्नलिखित श्लोक रस्माय दद्यतत्पित त्वेन्तां भृतित वतनुमि तपिउः। यं शश्रषु ए जीवनम् संत्सियां च न लङ् गृहे ॥ महिला की जिम्मेदारियां पति की पूरक हैं; वैवाहिक बंधन अच्छा बना रहे और उसमें कभी दाग न लगे, इसके लिए जोड़े को कुछ दिशानिर्देशों का पालन करके एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होगा। घर में खुशमिजाज़ और सक्षम होने के अलावा, एक अच्छी पत्नी अपने पति और बच्चों की उत्कृष्ट देखभाल करेगी। उनकी साझा कर्तव्य भावना उन्हें एक परिवार के रूप में एकजुट करती है। हिंदू विवाह को एक शाश्वत रिश्ते के रूप में देखते हैं। एक अवधारणा के रूप में जिम्मेदारी की जड़ें शास्त्रों में हैं, अर्थात् मनुस्मृति में, पौंश्चलर्टच्चलचट्टच नैस्नेह्यताच्च स्वार्थिः। रतिरत्नोऽपीह ऋषिः वेइट तवकु वाया ते॥३ और एवान स्वार्थ ज्ञातत्वत्ऽऽसतान् इजत्पतितनसरजम।

परमान रत्नमत्तिष्ठे पुरुषो रिनं इति॥4 यह महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुरुषों को महिलाओं के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाती है, क्योंकि इन उद्धरणों से पता चलता है कि महिलाओं की अंतर्निहित कमजोरी के कारण, निर्माता ने उनकी रक्षा की जिम्मेदारी पुरुषों को सौंपी है। दूसरी ओर, एक महिला को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। चूँकि मनु द्वारा वर्णित पति-पत्नी की भूमिकाएँ आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता बनी हुई है।

धर्म, यह विचार कि व्यक्तिगत नियम प्रत्येक धर्म की सामान्य प्रथाओं पर आधारित होते हैं, संहिताबद्ध कानूनों के निर्माण से पहले समाज को नियंत्रित करते थे। निम्नलिखित क़ानून भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों को नियंत्रित करते हैं: 1869 का तलाक अधिनियम और 1872 का भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम ईसाइयों को नियंत्रित करता है, 1936 का पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पारसियों को नियंत्रित करता है, 1937 का शरीयत अधिनियम मुसलमानों को नियंत्रित करता है, और हिंदू कोड 1956 में निम्नलिखित क़ानून शामिल हैं: हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, और हिंदू विवाह और उत्तराधिकार अधिनियम। व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने की सामाजिक आवश्यकता के जवाब में, प्रथागत व्यवहार उत्पन्न हुए। प्रसिद्ध न्यायविद् इहेरिंग ने एक वैध बात कही जब उन्होंने कहा कि कानून समाज की रक्षा और सेवा के लिए बनाए जाते हैं और सामाजिक हित को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व है। हालाँकि, जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, प्रथागत प्रथाओं को संहिताबद्ध करना आवश्यक हो जाता है, और इसलिए भारत की संसद ने व्यक्तिगत अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कई व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विवाह, तलाक, गोद लेना, वसीयत, निर्वसीयत और उत्तराधिकार के विषयों पर चर्चा की गई है। पार्टियों के व्यक्तिगत कानून इन मुद्दों को नियंत्रित करते हैं, और केंद्र सरकार और राज्य दोनों के पास कानून पारित करने और विवाह से संबंधित उपाय प्रदान करने का अधिकार है। विवाह संस्था और पति-पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून पारित किए गए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसे विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वैवाहिक उपचार और पति/पत्नी में से किसी एक के अधिकार के रूप में, भरण-पोषण भी कानूनी सुरक्षा में शामिल है। उनकी लगातार विनिमेयता के कारण, रखरखाव से संबंधित विधायी आवश्यकताओं पर विचार करने से पहले "भरण-पोषण" और "गुज़ारा भत्ता" शब्दों के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। भरण-पोषण की एक व्यापक परिभाषा है, और यह हमेशा तलाक से जुड़ी नहीं होती है।

प्रत्येक पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे (वैध और नाजायज), आश्रित माता-पिता और माता-पिता में से किसी एक के बच्चे स्वतंत्र रूप से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं, क्योंकि भरण-पोषण का उद्देश्य गरीबों की सहायता करना और आवारागर्दी को हतोत्साहित करना है। भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, और, अविवाहित बेटी के मामले में, उचित विवाह व्यय सभी को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956, धारा 3(बी) के तहत "भरण-पोषण" माना जाता है। प्रदीप कुमार कपूर बनाम शैलजा कपूर में अदालत के फैसले के अनुसार, "समर्थन" और "रखरखाव" का मतलब एक ही है। इसके विपरीत, वैवाहिक कार्यवाही और रिश्ते गुजारा भत्ता से अविभाज्य हैं। परिस्थितियों के आधार पर, अदालत मामला लंबित रहने के दौरान लंबित भरण-पोषण भत्ता दे सकती है या, अंतिम निपटान होने पर, पति या पत्नी में से किसी एक को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकती है। तलाक या न्यायिक अलगाव के बाद अदालत द्वारा दिए जाने वाले भरण-पोषण के तीन मुख्य रूप हैं लंबित भरण-पोषण, कार्यवाही समाप्त होने के बाद भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता।

तलाक या न्यायिक अलगाव के बाद पत्नी को दिया जाने वाला पहला रूप भरण-पोषण है, जबकि दूसरा, कार्यवाही लंबित रहने के दौरान दिया जाने वाला भरण-पोषण पेंडेंट लाइट है। इस अध्याय में, शोधकर्ता ने विभिन्न भारतीय व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार भरण-पोषण को परिभाषित किया, विभिन्न वैवाहिक अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा की, और महिलाओं के लिए भरण-पोषण के फायदे और नुकसान पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न वैवाहिक उपायों की समीक्षा की। इस अध्याय का उद्देश्य महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों से संबंधित व्यक्तिगत कानून की विविधता को प्रदर्शित करना है। शोधकर्ता ने इस बारे में बात की कि रखरखाव उपायों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानून कैसे हानिकारक हैं क्योंकि वे धार्मिक अभ्यास की आड़ में

महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए रखरखाव कानूनों के उद्देश्य को सीमित करते हैं। इसके अतिरिक्त, शोधकर्ता सभी धर्मों के रखरखाव नियमों में कई अस्पष्टताओं का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष

"महिलाओं के लिए भरण-पोषण के प्रावधान एक अवधि से दूसरी अवधि में कैसे बदल गए?" और "क्या महिलाओं की स्थिति और भरण-पोषण का अधिकार मजबूत हुआ या बिगड़ गया?" अध्याय III में पूछे गए शोध प्रश्न हैं। प्राचीन काल से शुरू होकर आज तक जारी कई कालों की जांच करने के बाद, "आधुनिक और स्वतंत्रता के बाद रखरखाव कानून कैसे विकसित हुआ?" जैसे प्रश्न उठते हैं। संबोधित हो रहे थे। महिलाओं की स्थिति एवं स्थिति में स्पष्ट रूप से वृद्धि एवं गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ऋग्वेद में महिलाओं को कई अधिकार देकर उनकी स्थिति में सुधार करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार संरचना ने अभी भी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी; उनसे अपेक्षा की गई कि वे घर पर रहें और परिवार की देखभाल करें। विवाह समारोह में पति ने अपनी पत्नी को उसके आर्थिक अधिकारों या हितों का उल्लंघन न करने का वादा करते हुए अपनी प्रतिज्ञा दिलाई। इसमें भरण-पोषण का अधिकार भी शामिल था, जो वैवाहिक संपत्ति का एक हिस्सा था। दुर्भाग्य से, इतिहास अपने काले अध्यायों से रहित नहीं है और मुगल काल उनमें से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय के दौरान महिलाओं के अधिकारों का शोषण किया गया था और उन्हें आर्थिक स्थिरता और अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा, जिससे इसे महिलाओं के लिए "अंधकार युग" का उपनाम मिला। बहरहाल, कुछ सम्राटों-अकबर, छत्रपति शिवाजी, अशोक, बाबर, जहांगीर और शाहजहां-ने महिलाओं को सामाजिक भरण-पोषण का अधिकार जैसे विशेषाधिकार देकर उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने की मांग की। ब्रिटिश शासन महिला अधिकारों की वकालत करने वालों के लिए एक वरदान था, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, साथ ही महिलाओं को जमीन रखने की क्षमता, विधवा के मरने पर पुनर्विवाह और शिक्षा तक पहुंच सहित कई अधिकार भी दिए थे। भारत का संविधान और उसके बाद के क़ानून महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत भरण-पोषण का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें वह स्थिति भी शामिल है जब वे अपने पतियों से दूर रहती हैं, एक ऐसी सुविधा जो विशेष रूप से आज के समतावादी समाज में प्रचलित है। आधुनिक और स्वतंत्रता के बाद के युगों के बाद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधायकों ने भरण-पोषण की अवधारणा को जोड़ा और उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए कानून की स्थापना की।

संदर्भ

[1]. फ्लाविया, ए. (1994). भारत में समान नागरिक संहिता: महिला आंदोलन का परिप्रेक्ष्य. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली.
[2]. घोष, जे. (2003). आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. महिला एवं कानून पर विशेषांक.
[3]. घोष, जे.सी. (1937)। विवाह का हिंदू कानून. कलकत्ता विश्वविद्यालय.
[4]. गुडी, जे. (1990). प्राच्य, प्राचीन और आदिम: यूरेशिया के पूर्व-औद्योगिक समाजों में विवाह और परिवार की प्रणालियाँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
[5]. गोपाल, एस. (1959)। भारतीय इतिहास और संस्कृति में अध्ययन। लोकप्रिय बुक डिपो।
[6]. जैकबसोहन, जीजे (2003)। कानून का पहिया: तुलनात्मक संवैधानिक संदर्भ में भारत की धर्मनिरपेक्षता। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.
[7]. जैन, एमपी (2014)। भारतीय कानूनी इतिहास की रूपरेखा। लेक्सिसनेक्सिस।

[8]. जयसिंह, आई. (2005)। घरेलू हिंसा का कानून: महिलाओं के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।
[9]. झा, डीएन (1998)। प्राचीन भारत: एक परिचयात्मक रूपरेखा। मनोहर.
[10]. झा, डीएन (2009)। पवित्र गाय का मिथक. वर्सो.
[11]. केन, पीवी (1930)। धर्मशास्त्र का इतिहास. वॉल्यूम. चतुर्थ. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
[12]. केन, पीवी (1941)। धर्मशास्त्र का इतिहास खंड. II, भाग I. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
[13]. कौर, आर. (2007). भारत में विवाह और प्रवासन. महिला असीमित.
[14]. कुलकर्णी, आरपी (1959)। धर्मशास्त्र में महिलाओं के अधिकार. -रघुनाथ प्रकाशन.
[15]. लारिवियर, आरडब्ल्यू (1989)। नारदस्मृति. मोतीलाल बनारसीदास.
[16]. लिंगट, आर. (1973). भारत का शास्त्रीय कानून. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस.
[17]. महाजन, जी. (1992)। पहचान की राजनीति और महिलाएँ: वैश्विक संदर्भ में सांस्कृतिक दावे और नारीवाद। ऋषि प्रकाशन।
[18]. मजूमदार, आरसी (1971)। प्राचीन भारत में कॉर्पोरेट जीवन. केएल मुखोपाध्याय.
[19]. मल्होत्रा, आई. (2013)। दक्षिण एशिया में महिलाएँ, परिवार और कार्य। रूटलेज।
[20]. मेनन, एन. (1998)। भारत में लिंग और राजनीति. ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस।
[21]. मेनन, एन. (2012)। एक फेमिनिस्ट की तरह देख रही हूं. ज़ुबान.
[22]. मुखर्जी, एके (1972)। विरासत और विभाजन का हिंदू कानून। कमल लॉ हाउस.
[23]. मुखर्जी, एम. (1988)। हिंदू महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार. गहन एवं गहन प्रकाशन।
[24]. मुखर्जी, एम. (2002)। भारत में लैंगिक न्याय और मानवाधिकार। वेदम पुस्तकें।
[25]. मुखर्जी, एस. (2002)। विवाह और तलाक में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार। सरूप एंड संस।